81 सूरए तक़वीर

सूरा तक़वीर की आयत 1-5 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

आयतों का अनुवाद:

1. **"जिस वक़्त आफ़ताब की चादर को लपेट लिया जाएगा।"**
2. **"और जिस वक़्त तारे गिर पड़ेगा।"**
3. **"और जब पहाड़ चलाए जाएँगे।"**
4. **"और जब अनक़रीब जनने वाली ऊटनिया बेकार कर दी जाएंगी।"**
5. **"और जिस वक़्त वेह्शी जानवर इकट्ठा किये जाएँगे।"**

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya) और प्रमाण (Pramana) – Valid knowledge and object of knowledge

---

आयत 1

प्रतिज्ञा (Proposition):
आफ़ताब (सूर्य) की चादर (प्रकाश) को लपेट दिया जाएगा, अर्थात सूर्य का अस्त होना।

हेतु (Reason):
यह आयत दुनिया के अंत और प्रलय के समय सूर्य की रोशनी का समाप्त होने का दावा करती है।

उदाहरण (Example):
वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार, सूर्य एक स्थिर तारा है और अपनी उम्र के अंत तक धीरे-धीरे बदलता रहेगा, न कि अचानक लपेटा जा सकता है।

उपनय (Application):
सूर्य के लपेटे जाने का विचार अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाणों से असंगत है, अतः यह प्रमेय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भौतिक और खगोलीय घटनाओं की सत्यता से मेल नहीं खाती, अतः सत्यापन योग्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार्य है।

आयत 2

प्रतिज्ञा (Proposition):
तारे गिरेंगे।

हेतु (Reason):
यह दावा करता है कि किसी समय आकाशीय पिंड पृथ्वी की ओर गिरेंगे।

उदाहरण (Example):
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कुछ उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकते हैं, पर यह घटना समय-समय पर सामान्य होती है, इसे कयामत के स्वरूप से जोड़ना अनुचित है।

उपनय (Application):
यह आयत आकाशीय घटनाओं को अत्यंत विनाशकारी और अनियतकालीन रूप में दर्शाती है, जो वैज्ञानिक और तर्कसंगत प्रमाणों के विपरीत है।

निगमन (Conclusion):
आयत का यह दावा प्रमेय और प्रमाण के अनुसार तथ्यात्मक नहीं है।

आयत 3

प्रतिज्ञा (Proposition):
पहाड़ हिलाए जाएँगे।

हेतु (Reason):
यह बताती है कि प्रकृति के स्थायी तत्व जैसे पहाड़, हिल जाएंगे।

उदाहरण (Example):
वैज्ञानिक दृष्टि से, भूगर्भीय क्रियाएँ पहाड़ों को बदल सकती हैं, लेकिन वे स्थायी प्रक्रिया में होती हैं, अचानक हिलना मिथक है।

उपनय (Application):
आयत प्राकृतिक स्थिरता के नियमों के विरुद्ध कल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण करती है।

निगमन (Conclusion):
यह वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है और प्रमेय सिद्धांत के अंतर्गत खारिज किया जाना चाहिए।

आयत 4

प्रतिज्ञा (Proposition):
ऊटनिया (गर्भवती ऊंट) बेकार कर दी जाएंगी।

हेतु (Reason):
यह आयत प्राकृतिक प्रजनन चक्र के उलट होने का दावा करती है।

उदाहरण (Example):
प्राकृतिक नियम गर्भाधान और संतानोत्पत्ति पर आधारित हैं, जिन्हें अचानक बदलना असंभव है।

उपनय (Application):
आयत प्राकृतिक विज्ञान के प्रमेय के खिलाफ है।

निगमन (Conclusion):
यह प्राकृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार अस्वीकार्य है।

आयत 5

प्रतिज्ञा (Proposition):
जंगली जानवर एकत्रित किए जाएंगे।

हेतु (Reason):
यह द्योतक है कि सभी जीव एक जगह इकट्ठा होंगे, जो कि संभव नहीं।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में जीवों के कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, जिसमें सभी जीवों का एकत्र होना तर्कसंगत नहीं।

उपनय (Application):
यह आयत जीवों के व्यवहार और प्रकृति के विरोधाभासी है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमेय और प्रमाण के आधार पर असंगत है।

सारणी: सूरा तक़वीर आयत 1-5 का तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना / त्रुटि
1	**प्रमेय, प्रमाण**	**सूर्य के लपेटे जाने का दावा वैज्ञानिक विरोधी।**
2	**प्रमेय, प्रमाण**	**तारे गिरने का अत्यंत विनाशकारी और काल्पनिक चित्रण।**
3	**प्रमेय**	**पहाड़ों के अचानक हिलने की घटना प्राकृतिक नियमों के विपरीत।**
4	**प्रमेय**	**प्राकृतिक प्रजनन चक्र के उलट होने का दावा असंभव।**
5	**प्रमेय, प्रमाण**	**जीवों के एकत्र होने की अवधारणा तर्कहीन।**

समग्र निष्कर्ष:

सूरा तक़वीर की आयतें 1 से 5 वैज्ञानिक और तर्कसंगत ज्ञान के आधार पर असंगत और अवैज्ञानिक हैं। ये प्राकृतिक नियमों और प्रमाणित अनुभव के विरोध में हैं। न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण तत्व इन दावों को स्वीकार नहीं करते, अतः ये आयतें मानवता के लिए सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार्य हैं।

आयत 6 से 10 का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 6

"और जिस वक़्त दरिया आग हो जायेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya - ज्ञात वस्तु)

प्रतिज्ञा (Proposition):
दरिया (नदी) आग बन जाएंगे।

हेतु (Reason):
यह प्राकृतिक और भौतिक नियमों के खिलाफ एक दावे है। जल का स्वाभाविक गुण है कि वह आग को बुझाता है, न कि जल और आग का आपस में परिवर्तन होता है।

उदाहरण (Example):
हमारा प्रतिदिन का अनुभव बताता है कि जल आग को बुझाता है, न कि जल खुद आग बन जाता है।

उपनय (Application):
इस दावे के आधार पर यह आयत प्राकृतिक विज्ञान के प्रमेय के विरुद्ध है।

निगमन (Conclusion):
यह दावा तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकार्य है।

आयत 7

"और जिस वक़्त रुहें हड्डियों से मिला दी जाएंगी।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय और प्रमाण (Prameya और Pramana)

प्रतिज्ञा:
रुहें हड्डियों से पुनः मिलाई जाएंगी।

हेतुः
यह पुनर्जीवन की अवधारणा है, जिसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव या प्रमाण नहीं है।

उदाहरणः
भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म और आत्मा की अवधारणा तो है, लेकिन शारीरिक पुनर्जन्म का साक्ष्य नहीं।

उपनयः
इस आयत में पुनर्जीवन के विषय में बिना स्पष्ट प्रमाणीकरण के दावा किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं।

निगमनः
यह दावा न्याय दर्शन के प्रमाण के नियमों के विरुद्ध है, अतः अस्वीकार्य है।

आयत 8

"और जिस वक़्त ज़िन्दा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्वः हेतुवाद (Hetu)

प्रतिज्ञाः
मृत (दरगोर) लड़की से उसके मारे जाने के कारण पूछा जाएगा।

हेतुः
यह काल्पनिक और अप्राकृतिक स्थिति है कि मृतक व्यक्ति से प्रश्न किया जाए।

उदाहरणः
जीव विज्ञान के अनुसार, मृत व्यक्ति संवाद या चेतन क्रिया नहीं कर सकता।

उपनयः
इस दावे का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

निगमनः
यह आयत अनुभव और विज्ञान के विरुद्ध है।

आयत 9

"कि वह किस गुनाह के बदले मारी गयी।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण और हेतुवाद (Pramana और Hetu)

प्रतिज्ञा:
लड़की को किसी गुनाह के कारण मारा गया।

हेतु:
यह दावे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया कि मृतक किसी अपराध या गुनाह का परिणाम है।

उदाहरण:
नैतिक और सामाजिक विज्ञान के अनुसार, हत्या के कारण सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक होते हैं, जिन्हें तर्क और प्रमाण के आधार पर विश्लेषित किया जाना चाहिए।

उपनय:
यह दावा बिना प्रमाण के सामान्यीकरण है, जो न्याय दर्शन के नियमों के विरुद्ध है।

निगमन:
यह दावा अतार्किक और आधारहीन है।

आयत 10

"और जिस वक़्त (आमाल के) दफ्तर खोले जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय और प्रमाण (Prameya और Pramana)

प्रतिज्ञा:
आमाल (कर्मों) के दफ्तर खोले जाएंगे।

हेतु:
यह पुनर्जन्म और कर्मफल की अवधारणा है, जो बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के है।

उदाहरण:
भारतीय दर्शन में कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसका दफ्तर खोलने जैसा कोई भौतिक प्रमाण नहीं है।

उपनय:

यह आयत अमूर्त और तर्कहीन अवधारणा को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करती है।

निगमन:

यह दावा बिना प्रमाण के है और न्याय दर्शन के आधारों का उल्लंघन करता है।

सारांश सारणी: आयत 6-10 की न्यायशास्त्रीय समीक्षा

आयत संख्या	न्याय तत्व	तार्किक दोष / असंगति का सारांश
6	प्रमेय	जल के आग बनने का दावा भौतिक विज्ञान के विपरीत।
7	प्रमेय, प्रमाण	पुनर्जीवन का दावा बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के।
8	हेतुवाद	मृतक से प्रश्न करने का दावे तर्कहीन और काल्पनिक।
9	प्रमाण, हेतुवाद	हत्या के कारणों का बिना प्रमाण सामान्यीकरण।
10	प्रमेय, प्रमाण	कर्मों के दफ्तर खोलने का अमूर्त और अप्रत्यक्ष दावा।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दावों को बिना स्पष्ट प्रमाण और तार्किक आधार के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के प्रमेय, हेतुवाद और प्रमाण के आधार पर ये दावे अनुभव और विज्ञान के विरुद्ध हैं और मानवता के लिए तर्कसंगत नहीं माने जा सकते।

आयत 11 से 15 का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 11

"और जिस वक़्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya - ज्ञात वस्तु)

प्रतिज्ञा (Proposition):
आसमान का छिलका उतारा जाएगा।

हेतु (Reason):
यह दावे भौतिक और खगोलीय विज्ञान के आधार पर असंगत है। आसमान, जिसे खगोल विज्ञान में वायुमंडल या ब्रह्मांड कहा जाता है, उसका "छिलका" होना और उसे उतारना अवैज्ञानिक और काल्पनिक है।

उदाहरण (Example):
खगोल विज्ञान के अनुसार, आकाश कोई ठोस छिलका नहीं है बल्कि गैसों और अंतरिक्ष का विस्तार है।

उपनय (Application):
इस आयत में एक अमूर्त और मिथकीय दावे को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निगमन (Conclusion):
यह दावा प्रमेय और प्रमाण के सिद्धांतों के विरुद्ध है और तर्कसंगत नहीं है।

आयत 12

"और जब दोज़ख़ (की आग) भड़कायी जाएंगी।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय और हेतुवाद (Prameya और Hetu)

प्रतिज्ञा:
دوزख की आग भड़काई जाएगी।

हेतु:
इस दावे में दोज़ख़ की आग को भौतिक और वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं।

उदाहरण:
धार्मिक मान्यताओं में नर्क की अवधारणा है, परंतु यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं।

उपनय:
यह आयत तर्क और अनुभव के आधार पर असंगत और अप्रमाणित है।

निगमन:
यह दावे प्रमेय और प्रमाण के नियमों के विरुद्ध हैं।

आयत 13

"और जब बेहिश्त करीब कर दी जाएंगी।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
बेहिश्त (स्वर्ग) करीब कर दिया जाएगा।

हेतु:
यह दावे भी अमूर्त और अतार्किक हैं क्योंकि स्वर्ग या बेहिश्त को भौतिक रूप में किसी स्थान के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

उदाहरण:
भारतीय दर्शन में मोक्ष या स्वर्ग का अर्थ आध्यात्मिक मुक्ति है, न कि भौतिक स्थान।

उपनय:
इस आयत में आध्यात्मिक अवधारणाओं को भौतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

निगमन:
यह दावा न्याय दर्शन के प्रमेय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

आयत 14

"तब हर शख़्स मालूम करेगा कि वह क्या (आमाल) लेकर आया।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana)

प्रतिज्ञा:
 हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ज्ञान होगा।

हेतु:
 यह दावे बिना स्पष्ट प्रमाण और अनुभव के आधारित है कि मृत्युपरांत सभी को कर्मों का ज्ञान होगा।

उदाहरण:
 न्याय दर्शन में ज्ञान के लिए प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द) की आवश्यकता होती है।

उपनय:
 यह आयत अनुभव और तर्क के आधार पर तर्कसंगत नहीं ठहरती।

निगमन:
 यह दावा अप्रमाणित और अतार्किक है।

आयत 15

"तो मुझे उन सितारों की क़सम जो चलते चलते पीछे हट जाते।"

चुना गया न्याय तत्व: उपमान (Upamana - Comparison)

प्रतिज्ञा:
 सितारों का पीछे हटना एक सच है।

हेतु:
 यह दावे खगोलीय विज्ञान के विरुद्ध है क्योंकि सितारे स्थिर नहीं होते, लेकिन उनका "पीछे हटना" जैसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं।

उदाहरण:
 खगोलीय गणनाओं से ज्ञात है कि सितारों की चाल पृथ्वी की गति से संबंधित होती है, लेकिन वे "पीछे हटते" नहीं।

उपनय:
 इस आयत में एक मिथकीय कल्पना को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निगमनः

यह दावा न्याय दर्शन के उपमान तत्व और वैज्ञानिक प्रमाण के विरुद्ध है।

सारांश सारणीः आयत 11-15 की न्यायशास्त्रीय समीक्षा

आयत संख्या	न्याय तत्व	तार्किक दोष / असंगति का सारांश
11	**प्रमेय**	**आसमान का छिलका होना अवैज्ञानिक और मिथकीय दावा।**
12	**प्रमेय, हेतुवाद**	**दोज़ख़ की आग का भौतिक रूप में होना अप्रमाणित।**
13	**प्रमेय**	**स्वर्ग का भौतिक स्थान होना अतार्किक।**
14	**प्रमाण**	**कर्मों का ज्ञान मृत्युपरांत बिना प्रमाण के दावा।**
15	**उपमान**	**सितारों का पीछे हटना खगोलीय विज्ञान के विपरीत।**

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में कई दावे मिथकीय, अमूर्त और तर्कहीन हैं, जो न्याय दर्शन के प्रमेय, प्रमाण, हेतुवाद और उपमान के तत्वों के विपरीत हैं। यह दावे न तो वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित हैं और न ही सार्वभौमिक तर्कशीलता के अनुरूप। अतः ये आयतें मानवता के लिए तर्कसंगत और स्वीकार्य संदेश नहीं प्रदान करतीं।

आयत 16 से 20 का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 16

"और गायब होते हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
सितारे या वस्तुएं गायब हो जाती हैं।

हेतु (Reason):
आसमान में वस्तुएं स्थायी नहीं होतीं, परन्तु यह अस्पष्ट है कि "गायब होना" किस संदर्भ में कहा गया है।

उदाहरण:
खगोल विज्ञान में, ग्रह, तारे और खगोलीय पिंड अलग-अलग कारणों से दिखाई देना या न देना समझा जाता है, परन्तु "गायब होना" काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उपनय (Application):
यह आयत वैज्ञानिक दृष्टि से अस्पष्ट है और तर्कसंगत प्रमाण के बिना एक मिथक प्रतीत होती है।

निगमन (Conclusion):
यह कथन प्रमेय के अनुसार अप्रमाणित है।

आयत 17

"और रात की क़सम जब ख़त्म होने को आ,"

चुना गया न्याय तत्व: उपमा (Upamana - Comparison)

प्रतिज्ञा:
रात के समाप्त होने की कस्म ली गई है।

हेतु:
यह धार्मिक भाषा है, लेकिन प्राकृतिक घटना (रात का दिन में बदलना) को कस्म के रूप में लेना अतार्किक है।

उदाहरण:
दिन-रात की प्रकृति चक्र की भौतिक प्रक्रिया है, जिसे कस्म के रूप में लेना भावनात्मक या मिथकीय है।

उपनय:
यह आयत विज्ञान और तर्क के सिद्धांतों के विपरीत है।

निगमनः

यह एक भावनात्मक व्याख्या है, न कि तार्किक प्रमाण।

आयत 18

"और सुबह की क़सम जब रौशन हो जाऐ"

चुना गया न्याय तत्वः उपमा (Upamana)

प्रतिज्ञाः

सुबह के उजाले की कस्म ली गई है।

हेतुः

प्राकृतिक घटना (सूर्योदय) को कस्म के रूप में प्रस्तुत करना वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है।

उदाहरणः

सूर्योदय एक भौतिक प्रक्रिया है, न कि किसी अलौकिक घटना।

उपनयः

इस आयत में अलौकिकता को वास्तविकता के स्थान पर प्रस्तुत किया गया है।

निगमनः

यह तर्कहीन और अप्रमाणित है।

आयत 19

"कि बेशक यें (कुरान) ऐक मुअज़िज़ फरि'ता (जिबरील की ज़बान का पैगाम है)"

चुना गया न्याय तत्वः प्रमाण (Pramana)

प्रतिज्ञाः

कुरान फरिश्ते (जिब्रील) के माध्यम से आया चमत्कारिक संदेश है।

हेतुः
यह दावा अप्रमाणित है क्योंकि कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाण नहीं है जो इसे साबित करता हो।

उदाहरणः
ऐसे दावे जो केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हों, वे वैज्ञानिक और तर्कसंगत प्रमाणों से समर्थित नहीं होते।

उपनयः
यह आयत तर्क और प्रमाण के मानदंडों के खिलाफ है।

निगमनः
यह दावा अप्रमाणित और अतार्किक है।

आयत 20

"जो बड़े क़वी अर्श के मालिक की बारगह में बुलन्द रुतबा है"

चुना गया न्याय तत्वः प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञाः
यह फरिश्ता (जिब्रील) अल्लाह के पास उच्च पद और सम्मान रखता है।

हेतुः
यह दावा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका कोई तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं।

उदाहरणः
अल्लाह और फरिश्तों के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं।

उपनयः
यह आयत प्रमेय के मानदंडों के विरुद्ध है क्योंकि यह अमूर्त और अप्रमाणित है।

निगमनः
यह दावा अतार्किक और अप्रमाणित है।

सारांश सारणी: आयत 16-20 की न्यायशास्त्रीय समीक्षा

आयत संख्या	न्याय तत्व	तार्किक दोष / असंगति का सारांश
16	प्रमेय	"गायब होना" अस्पष्ट और अप्रमाणित दायरा।
17	उपमा	रात के समाप्त होने को कस्म के रूप में लेना मिथकीय।
18	उपमा	सुबह के उजाले की कस्म लेना असंगत और अतार्किक।
19	प्रमाण	कुरान के फरिश्ते के माध्यम होने का दावा अप्रमाणित।
20	प्रमेय	फरिश्ते के उच्च पद का दावा अतार्किक और अप्रमाणित।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्राकृतिक घटनाओं को अलौकिक कस्म के रूप में प्रस्तुत करना तर्क और प्रमाण के आधार पर असंगत है। इसके अलावा, कुरान के फरिश्ते (जिब्रील) से आने के दावे बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के अतार्किक हैं। न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार ये आयतें तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकार्य हैं। मानवता के लिए इनका संदेश तर्कसंगत और प्रमाणित नहीं है।

आयत 21 से 25 का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 21

"वहाँ (सब फरिश्तो का) सरदार अमानतदार है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
सब फरिश्तों का एक सरदार अमानतदार होता है।

हेतु (Reason):
यह धार्मिक धारणा है, जिसका कोई तार्किक या अनुभवजन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं।

उदाहरण:
 प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फरिश्तों का अस्तित्व अप्रत्यक्ष और अप्रमाणित है।

उपनय (Application):
 फरिश्तों के नेतृत्व और अमानतदारी का दावा केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसे न्याय दर्शन के प्रमेय के तहत सत्य नहीं ठहराया जा सकता।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत बिना प्रमाण के धार्मिक कथन है, अतः तार्किक दृष्टि से असंगत है।

आयत 22

"(मक्के वालों) तुम्हारे साथी मोहम्मद दीवाने नहीं हैं।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण)

प्रतिज्ञा:
 मोहम्मद दीवाने नहीं हैं।

हेतु:
 यह तर्कपूर्ण दावा विवादास्पद है क्योंकि यह व्यक्तिगत मानसिक स्थिति का निर्धारण बिना वस्तुनिष्ठ प्रमाण के करता है।

उदाहरण:
 मनोविज्ञान में किसी की मानसिक स्थिति को साबित करने के लिए प्रमाण और वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक होते हैं।

उपनय:
 धार्मिक कथन में यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के नियमों के विरुद्ध है।

निगमन:
 यह एक अप्रमाणित और अतार्किक दावा है।

आयत 23

”और बेशक उन्होने जिबरील को (आसमान के) खुले (शरक़ी) किनारे पर देखा है।”

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana)

प्रतिज्ञा:
मोहम्मद ने जिबरील को खुले आसमान पर देखा।

हेतु:
यह दावा केवल मुहम्मद के कथन पर आधारित है, जिसका कोई स्वतंत्र या वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं।

उदाहरण:
दर्शन और विज्ञान में, किसी भी दावे के सत्यापन के लिए तर्कसंगत और प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए।

उपनय:
यह कथन एक व्यक्तिपरक अनुभव है, जिसे प्रमाणीकरण के बिना स्वीकार करना उचित नहीं।

निगमन:
यह दावा अप्रमाणित और अतार्किक है।

आयत 24

”और वह गैब की बातों के ज़ाहिर करने में बख़ील नहीं।”

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण)

प्रतिज्ञा:
मुहम्मद रहस्यों को प्रकट करने में कंजूस नहीं हैं।

हेतु:
यह कथन बिना तर्क और प्रमाण के मनगढ़ंत मान्यताओं पर आधारित है।

उदाहरण:
ज्ञान का प्रकट होना तर्क और प्रमाण से नियंत्रित होता है, न कि अनिश्चित दावों से।

उपनय:
इस प्रकार का दावा न्याय दर्शन के कारण नियम का उल्लंघन करता है।

निगमन:
यह असंगत और अप्रमाणित कथन है।

आयत 25

"और न यह मरदूद शैतान का क़ौल है।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetvabhasa (तर्क दोष)

प्रतिज्ञा:
यह कथन शैतान का नहीं है।

हेतु:
इस कथन में तर्क दोष है क्योंकि यह विरोधाभास और प्रमाण विहीन अपील पर आधारित है।

उदाहरण:
तर्कशास्त्र में, किसी कथन को असत्य घोषित करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, केवल दावा करना पर्याप्त नहीं।

उपनय:
यह एक अप्रत्यक्ष तर्क दोष (hetvabhasa) है जो बिना प्रमाण के दावा करता है।

निगमन:
यह आयत तर्कहीन और अप्रमाणित है।

सारांश सारणी: आयत 21-25 की न्यायशास्त्रीय समीक्षा

आयत संख्या	न्याय तत्व	तार्किक दोष / असंगति का सारांश
21	प्रमेय	फरिश्तों के सरदार का अस्तित्व अप्रमाणित धार्मिक

		दावा।
22	हेतु	मानसिक स्थिति का दावा बिना प्रमाण के किया गया।
23	प्रमाण	जिबरील को देखने का दावा केवल व्यक्तिगत अनुभव है।
24	हेतु	रहस्यों को प्रकट करने की बात बिना प्रमाण के असंगत।
25	हेत्वाभास (तर्क दोष)	बिना प्रमाण विरोधी दावे को खारिज करना तर्कहीन।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक मान्यताओं को प्रमाणों और तार्किक विश्लेषण के बिना प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, फरिश्तों के अस्तित्व, मानसिक स्थिति, और अलौकिक अनुभवों के दावे न्याय दर्शन के प्रमेय, हेतु और प्रमाण के नियमों के खिलाफ हैं। अतः यह आयतें तार्किक और अनुभवजन्य दृष्टि से अस्वीकार्य हैं, और मानवता के लिए उनका संदेश वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अप्रासंगिक है।

आयत 26 से 29 का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण

आयत 26

"फिर तुम कहाँ जाते हो।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रातिज्ञा (Pratijna)

प्रतिज्ञा:
यह प्रश्न मानव जीवन के उद्देश्य और दिशा पर केंद्रित है।

हेतु (Reason):
यह प्रश्न आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से अनुत्तरित है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है।

उदाहरण:
विभिन्न दर्शन और धर्म जीवन के उद्देश्य को अलग-अलग तरीके से समझाते हैं, परंतु कोई सार्वभौमिक और तर्कसंगत उत्तर नहीं है।

उपनय (Application):
यह प्रश्न बिना तार्किक समाधान के रह जाता है, और इसका उत्तर व्यक्तिगत विश्वासों और मान्यताओं पर निर्भर करता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत तार्किक विवेचना से अधिक भावनात्मक या आध्यात्मिक प्रश्न है, जिसका कोई निश्चित तर्क नहीं है।

आयत 27

"ये सारे जहान के लोगों के लिए बस नसीहत है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
यह कथन पूरे संसार के लोगों के लिए एक नसीहत है।

हेतु:
यह दावा बिना यह साबित किए कि सभी लोग इस नसीहत को समझेंगे या मानेंगे, अत्यधिक सामान्यीकरण करता है।

उदाहरण:
विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, और दार्शनिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक ही नसीहत को अलग-अलग तरीके से ग्रहण करते हैं।

उपनय:
इसलिए, यह दावा न्याय दर्शन के नियमों के अनुसार अतिरंजित और अप्रमाणित है।

निगमन:
यह आयत सार्वभौमिकता का दावा करती है जो तार्किक रूप से प्रमाणित नहीं है।

आयत 28

"(मगर) उसी के लिए, जो तुममें सीधी राह चले।"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Hetu)

प्रतिज्ञा:
नसीहत केवल उन्हीं के लिए है जो सीधी राह पर चलें।

हेतु:
यह आयत चयनात्मक है और यह स्पष्ट नहीं करती कि "सीधी राह" का निर्धारण कैसे किया जाए।

उदाहरण:
अलग-अलग लोग अपने-अपने दृष्टिकोण से "सीधी राह" को परिभाषित करते हैं।

उपनय:
इसलिए, यह तर्कहीन और अस्पष्ट है, जो न्याय दर्शन के कारण नियम के विरुद्ध है।

निगमन:
यह आयत तर्कसंगत और स्पष्ट परिभाषा का अभाव रखती है।

आयत 29

"और तुम तो सारे जहान के पालने वाले ख़ुदा के चाहे बगैर कुछ भी चाह नहीं सकते।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय और हेत्वाभास (Prameya और Hetvabhasa)

प्रतिज्ञा:
इन्सान केवल खुदा की इच्छा के अधीन हैं।

हेतु:
यह दार्शनिक और धार्मिक विचार है, परंतु यह स्वतंत्र इच्छा और कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है।

उदाहरण:
भारतीय दर्शन जैसे न्याय और सांख्य में स्वतंत्र इच्छा और कर्म की भूमिका स्पष्ट है।

उपनयः
इस आयत में स्वतंत्रता की अवधारणा को नकारा गया है, जो कि तार्किक और दार्शनिक रूप से विवादास्पद है।

निगमनः
यह आयत स्वतंत्रता और कर्म के सिद्धांत के खिलाफ है, अतः यह असंगत और अप्रमाणित है।

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में जीवन के उद्देश्य, नसीहत की सार्वभौमिकता, मार्ग की स्पष्टता, और स्वतंत्र इच्छा के विषयों पर असंगत और अस्पष्ट दावे किए गए हैं। न्याय दर्शन के प्रमेय, हेतु, और हेत्वाभास के आधार पर ये आयतें तार्किक और दार्शनिक रूप से कमजोर हैं। इसलिए, इनके द्वारा प्रस्तुत संदेश मानवता के लिए एक स्पष्ट, तर्कसंगत और सार्वभौमिक मार्गदर्शन प्रदान करने में असफल रहते हैं।